



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
१८, संस्थानिक क्षेत्र/18, Institutional Area
शाहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-११००१६/New Delhi -110016

दूरसंचार व फैक्स/Tel & Fax- २६८५८५६६/26858566 व २६५१४१७९/26514179
वेबसाइट/website www.kvsangathan.org

F. 11013.01/78/2012 / KVS (HQ) Acad

श्री शशीभूषण तियारी,

(आई.डी.सं०-9354).

Dated: 13-12-2012.

17.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,
उपरोक्त विधायक आपके आवंटन रशेड नंबर 9706 दिनांक 19.12.2012 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
वांछित जानकारी इस प्रकार है।

क्रम सं०	मांगी गई सूचना	दी गई सूचना
2.	शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कार्यावधि में क्या-क्या पहनने पर प्रतिबंध है? क्या शिक्षकों के धोती-कुर्ता, कुर्ता पायजामा, कॉलर एवं पाकेट वाले तिशर्ट, जींस, ट्राउसर, मेहंगी या बरसात में पहनी जाने वाली चप्पल, स्पोर्ट्स जूते पहनने पर प्रतिबंध है? प्राचार्य के लिए इस के संबंध में क्या निषेध है?	उक्त प्रश्न जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2 (एफ) के अंतर्गत नहीं आता। फिर भी आपकी जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षा संहिता (Education Code) के आर्टिकल 59 (20) के अनुसार शिक्षकों के लिए पहनने का नियम इस प्रकार है : "प्रत्येक अध्यापक चुस्त-दुरुस्त रहेगा। वह इयूटि पर ऐसे वस्त्र धारण करेगा जो साफ एवं सलीकेदार हों। वह किसी भी सूरत में इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनेगा कि वह विद्यार्थियों और अपने सहकर्मियों के सामने फूहड़ लगे या मज़ाक या दया का पात्र बने।"

प्रतिलिपि:

2. अनुमान अधिकारी (आर. टी. आई.) को सूचनायें।

आपका
श्री शशीभूषण तियारी
(श्री. शशी कान्त)
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण) एवं जन सूचना अधिकारी

श्री शशीभूषण तियारी
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण) एवं जन सूचना अधिकारी